



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-30102024-258364
CG-MH-E-30102024-258364

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4337]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 29, 2024/कार्तिक 7, 1946

No. 4337]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 29, 2024/KARTIKA 7, 1946

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 28 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4713(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'ए' के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के हिंगोली जिला में “वर्धा-यवतमाळ-नांदेड नये ब्रॉडगेज रेलवे लाईन” की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी, कळमनुरी महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों कि सुनवाई करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितवद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के हिंगोली, जिला में "वर्धा-यवतमाळ-नांदेड नये ब्रॉडगेज रेल्वे लाईन" रेल्वेमार्ग के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण

अ.क्र .	भुसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वे न.	भू धारणा पद्धती	7/12 अनुसार कुल क्षेत्र (हे. आर.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर.)
1	10/47/2023-24	चुंचा	कळमनुरी	दत्ता गणाजी कदम व इतर 3	189	1	2.14	0.01
2				मोहित दीपककुमार मालीवाल व इतर 1	190	1	2.14	0.05
3				भाऊराव कामाजी कदम व इतर 2	191	1	2.14	0.01
कुल								0.07 हे. आर
1	11/47/2023-24	दाभडी	कळमनुरी	गंगाधर हरी हरकरे गंगाधर हरी हरकरे और अन्य 6	29	1	5.53	0.01
2				प्रतापराव मारोतराव कावळे और अन्य 9	34	1	13.91	0.10
कुल							25.86 हे. आर	0.11 हे.आर

[फा. सं. G197/2024/Wardha-Nanded New line/Oct/20A-I]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 28th October, 2024

S.O. 4713(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **Wardha-Yavatmal-Nanded New BG Railway line in the district of Hingoli in the State of Maharashtra**, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, **Sub Divisional officer & Land Acquisition officer, Kalamnuri, Maharashtra** in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project Wardha Yavatmal-Nanded Rail line in the district of Hingoli in the State of Maharashtra.

Sr. No.	Land Acquisition Case No	Name of the village	Taluka	As per 7/12 landholder's name	Survey no.	Land holding practices	As per 7/12 Total area (H.R.)	Editing Area (H.R.)
1	10/47/2023-24	Chuncha	Kalamnuri	Datta Ganaji Kadam and 3 others	189	1	2.14	0.01
2				Mohit Dipakkumar Maliwal and 1 other	190	1	2.14	0.05
3				Bhaurao Kamaji Kadam and 2 others	191	1	2.14	0.01
Total								0.07 H.R
1	11/47/2023-24	Dabhadi	Kalamnuri	Gangadhar Hari Harkare and 6 others	29	1	5.53	0.01
2				Prataprao Marotrao Kavale and 9 others	34	1	13.91	0.10
Total							25.86 H.R	0.11 H.R

[F. No. G197/2024/Wardha-Nanded New line/Oct/20A-I]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)